संशोधन

संख्या-15/2016/826/18-2-2016-30(1)/2016

प्रेषक

राम निरंजन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर, 2016

विषयः-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2016/735/18-2-2016-30(1)/2016, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना के निमित्त आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2.60 करोड़ (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-4 में "उत्तर प्रदेश समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" का उल्लेख है जबकि "उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016" का उल्लेख होना चाहिये था।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15-11-2016 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित "उत्तर प्रदेश समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016" पढ़ा जाय। उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 15-11-2016 को संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय
राम निरंजन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125- जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राम निरंजन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।